न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 56/2017 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2017/00221

उनवान

अधिशाषी अभियंता राजस्थान अरवन इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट प्रोजेक्ट (आरयूआईडीपी) वाडी रोड धौलपुर जरिये प्रमोद कुमार पाठक पुत्र श्री गुरूदत्त पाठक उम्र करीब 56 साल जाति ब्राहम्ण।

.....अपीलाण्ट

बनाम

दीपक कुमार उपाध्याय पुत्र श्री विनोदशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी खिडकी मौहल्ला पुरा शहर धौलपुर।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 05.07.2017 प्रकरण संख्या 045/2015 उनवान दीपक कुमार बनाम अधिशाषी अभियंता न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर।

उपस्थित :–

1. श्री गजेन्द्र सिंह राजकीय अभिभाषक ।
2. श्री किशन सिंह त्यागी अभिभाषक रैस्पो0।

निर्णय दिनांक :–01.11.2021

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय दिनांक 05.07.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो0 ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 384 रकवा 01 बीघा 02 विस्वा, 437/396 रकवा 10 विस्वा ग्राम फतिहाबाद के वादी/रैस्पो0 खातेदार एवं आधिपत्यधारी हैं। विवादित आराजी से प्रतिवादी/अपीलाण्ट का कोई संबंध सारोकार नहीं है एवं ना ही किसी उद्देश्य से अवाप्त किया है ना ही प्रस्तावित है। प्रतिवादी जबरन विवादित आराजी में से अपनी सुविधा अनुसार सीधे पूर्व से पश्चिम बीचों बीच सीवरलाईन के पाईप जमीन में खोदकर डाल रहे हैं। वादी/रैस्पो0 ने जब उन्हें रोका तो वह साफ इंकारी हो गये। यदि प्रतिवादी को उक्त कार्य से नहीं रोका गया तो वह अपने मकसद में कामयाब हो जायेगें व विवादित आराजी कृषि योग्य नहीं रहेगी। अतः वाद प्रस्तुत कर डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2017 से डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक पैरोकार सरकार ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के जवाब दावा प्रस्तुत करने के उपरान्त भी दावा एवं जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम नहीं की गयी है। जबकि जवाव दावा प्रस्तुत होने पर तनकीयात कायम करना विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/रैस्पो0 द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व गवाह आदि प्रस्तुत नहीं किया है एवं ना ही किसी गवाह का कोई शपथपूर्वक कोई बयान ही हुआ है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य अथवा स्वतंत्र गवाह के दावा वादी/रैस्पो0 डिक्री किये जाने की कानूनी गलती की है। सीवर लाईन लोकप्रयोजन के लिये जनहित में डाली गयी हैं। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। रैस्पो0 विवादित आराजी के खातेदार हैं जिसमें अपीलाण्ट द्वारा मना करने के बाबजूद जबरदस्ती सीवर लाईन डाल दी है व चैम्बर का निर्माण कर दिया है। जबकि अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। प्रकरण में इस तथ्य बाबत् कोई विवाद नहीं है कि रैस्पो0 विवादित आराजी के खातेदार हैं। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने जवाब दावा में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उनके द्वारा रैस्पो0 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 384 व 437/396 में सीवर लाईन का पाईप डाला है एवं चैम्बर का निर्माण किया है। यह सही है कि वर्तमान में सीवर लाईन का कार्य पूर्ण हो चुका है। परन्तु किसी खातेदार की भूमि में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये सीवर लाईन का कार्य किया जाकर संबंधित हितधारी को नुकसान पहुँचाये जाने के तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः वादी/रैस्पो0 अपनी भूमि में हुये नुकसान की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। यह सही है कि सीवर लाईन लोकप्रयोजन के लिये जनहित में डाली गयी है। परन्तु अपीलाण्ट को किसी भी भू स्वामी की भूमि में बिना उसकी अनुमति अथवा विधिवत अवाप्ति कार्यवाही किये बिना इस प्रकार सीवर लाईन डालने का कोई अधिकार नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही रैस्पो0 के क्षतिपूर्ति अभ्यावेदन प्राप्त होने पर विभाग को तीन माह में निस्तारण करने के आदेश दिये हैं। उपरोक्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

विवेचनानुसार हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को किसी भी प्रकार विधि की मंशा के विपरीत नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 05.07.2017 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 01.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01.11.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
कार्या0 भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20 , रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)

अज अदालत **भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर** मुकाम **कैम्प धौलपुर**
व इजलास श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्याः– अपील संख्या–56/2017 (223 आर.टी.एक्ट.)

1. अधिशाषी अभियन्ता राजस्थान अरबन इन्फ्रास्ट्राक्चर डबलपमेन्ट प्रोजेक्ट (आरयूआईडीपी),बाडी रोड धौलपुर जरिये प्रमोद कुमार पाठक पुत्र श्री गुरूदत्त पाठक उम्र करीब 56 साल जाति ब्राहम्ण।
..............**अपीलांट।**

बनाम

1. दीपक कुमार उपाध्याय पुत्र श्री विनोदशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी खिडकी मौहल्ला पुरा शहर धौलपुर।
.... **रेस्पोडेंट।**

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी,धौलपुर दिनांक 05.07.2017 प्रकरण संख्या 045/2015 उनवान दीपक कुमार बनाम अधिशाषी अभियन्ता।

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी अपीलांट राजकीय अभिभाषक श्री गजेन्द्रसिंह मिनजानिब मुदई व रेस्पोडेंट अधिवक्ता श्री किशनसिंह त्यागी मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि..अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 05.07.2017 यथावत रखे जाते है।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.........**01**...........माह.........**11**........सन्..........**2021**.........को जारी की गई।

मुहर
(मुहर: न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प–धौलपुर)

दस्तखत (हस्ताक्षर) 01/11/2021 भू–प्रबन्ध अधिकारी, पदेन
औहदा राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प–धौलपुर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।